भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 69.

दिनांक 02.02.2021/ 13 माघ, 1942 (शक) को उत्तर के लिए

मानव दुर्व्यापार के मामलों में वृद्धि

†69. डॉ॰ अमर सिंहः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि वर्तमान महामारी के परिणामस्वरूप खराब आर्थिक स्थितियों के कारण मानव दुर्व्यापार के खतरे काफी ज्यादा होंगे;

(ख) यदि हां, तो आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों का मानव- दुर्व्यापार रोकने के लिए सरकार की योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी किशन रेड्डी)

(क) से (ग): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। मानव तस्करी की रोकथाम करने और उससे निपटने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है, जो कानून के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई करने में सक्षम हैं। तथापि, कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान मानव तस्करी के खतरे का संज्ञान लेते हुए, गृह मंत्रालय ने दिनांक 06.07.2020 को सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को मानव तस्करी को

रोकने तथा उससे निपटने के लिए एक व्यापक एडवाइजरी जारी की थी। इस संदर्भ में, उन्हें कुछ उपाय करने की सलाह दी गई थी, जो निम्नानुसार हैं:

(i) देश के सभी जिलों में तत्काल आधार पर मानव तस्करी-रोधी यूनिटों (एएचटीयू) की स्थापना की जाए और उनका स्तरोन्नयन किया जाए, जिसके लिए सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को लगभग 100 करोड़ रु. जारी किए गए थे।

(ii) मानव तस्करी संबंधी मुद्दों पर कार्रवाई करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के विभिन्न विभागों के बीच समन्वय तंत्र विकसित किया जाए तथा सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में उच्चतम स्तर पर इसकी निगरानी/समीक्षा की जानी चाहिए।

(iii) समाज के ऐसे कमजोर वर्गों की सुरक्षा करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा सभी स्तरों पर विशेष जागरूकता सृजन अभियानों का आयोजन किया जाए, जो विशेष रूप से ऐसे बेईमान व्यक्तियों के हाथों का शिकार बन जाते हैं, जो उन्हें बेहतर जीवन और मजदूरी का वादा करके धोखा देते हैं।

(iv) विधि प्रवर्तन एजेंसियां तस्करी का शिकार हुए व्यक्तियों की पहचान करने, उनका पता लगाने और उन्हें छुड़ाने में स्थानीय पंचायतों, सामुदायिक नेताओं, विलेज वाच एंड वार्ड, नगरपालिका समितियों, रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों आदि की सहायता ले सकती हैं।

(V) गिरोहों और उनके द्वारा लोगों का शोषण करने की उनकी कार्य प्रणाली का पता लगाने के लिए विशिष्ट 'आसूचना' और 'निगरानी' प्रणाली तथा ऐसे मामलों के लिंक की पुलिस विभाग द्वारा जांच की जाए तथा स्थानीय पुलिस द्वारा ज्ञात अपराधियों और तस्करों पर कड़ी नजर रखी जाए।

(vi) पुलिस अधिकारियों द्वारा विपत्ति में पड़े बच्चों की पहचान करने, संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखने, ट्रांजिट प्वाइंट यथा रेलवे स्टेशनों, बस डिपो, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, सीमा क्षेत्रों आदि पर विशेष नजर रखने और राज्यों तथा संघ क्षेत्रों में असुरक्षित लोगों तथा अतिसंवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करने जैसे रोकथाम संबंधी उपाय किए जाएं।

(vii) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निराश्रित महिलाओं और जरूरतमंद बच्चों के लिए आश्रयस्थल खुले रहें और महिलाओं तथा बालिकाओं को अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं तथा उन्हें वर्चुअल/टेलीफोन परामर्शी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं।

******